प्रकरण संख्या 3/19 श्रीमती दाखीबाई बनाम सुरेश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घोसुण्डी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की हाल आराजी नंबर 762 गत आराजी नंबर 264 रकबा 0.1800 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीइ श्री छोगा जी ने विपक्षी संख्या 1 के भाई देवा से वर्ष 1976 में कय किया था। मूल पुरूष केता छोगा पिता भाना जी थे, जिनके दो पुत्र देवीलाल व श्यामलाल हुए। देवीलाल के वारिस प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा श्यामलाल के वारिस प्रार्थी संख्या 3 व 4 हैं तथा प्रार्थी संख्या 5 छोगा जी की पत्नी है, लेकिन ग्राम पंचायत ने छोगा जी मृत्यु पर नामान्तरकरण नहीं खोला एवं दाखु व छोगा के नाम 1/2, 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण फैसल हो गया। भूमि के 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण दाखु के नाम गलत रूप से स्वीकृत हो जाने से वह भूमि विकय करने पर आमादा है, जबकि उक्त भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 18.06.2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08.02.2019 को प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री गिरीश पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2,	

	3 व 4 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने से उसका नाम दर्ज किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया 70 वर्ष की वृद्ध महिला होकर घर से बाहर आने-जाने में असमर्थ है, जिससे वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी। जानबूझ का कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया।तो यह पाया कि राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट के उपस्थित होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्ट को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय व विधि के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय अस्थाई	

निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्ट को बिना सुने उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तुत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:02:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: